

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 256] No. 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

- सं. आरटी-25043/03/2017-आरएस.—सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में एतद्द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की जाती है। यदि जिले में एक से अधिक संसद सदस्य हैं, तो समिति का अध्यक्ष वरिष्ठतम संसद सदस्य होगा। जिले में निवास करने वाला माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
 - i. जिला कलेक्टर
 - ii. पुलिस अधीक्षक
- iii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- iv. नगर निगम या विकास प्राधिकरण के महापौर/अध्यक्ष
- v. जिले के विधान सभा के सभी सदस्य (विधायक)
- vi. जिले के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट
- vii. अध्यक्ष द्वारा नामित 3 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
- viii. स्टेक होल्डर विभागों, संस्थानों और ऑटोमोबाइल डीलरों के जिला स्तरीय अधिकारी (डीएलओ)
- ix. ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधि
- x. जिला सिविल सर्जन

5947 GI/2017 (1)

- xi. जिला शिक्षा अधिकारी
- xii. जिले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के वरिष्ठतम अधिकारी
- xiii. जिले के लिए पीडब्ल्युडी के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के प्रभारी अधिकारी
- xiv. जिला मुख्यालय से परिवहन विभाग से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ)/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) - सदस्य सचिव
- 2. जिला सड़क सुरक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:—
 - (i) जिले में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी
 - (ii) सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की निगरानी
 - (iii) सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान और अध्ययन
 - (iv) राष्ट्रीय/राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को सुझाव प्रदान करना
 - (v) प्रोटोकॉल के अनुसार ब्लैक स्पॉटों की पहचान और उनके सुधार से संबंधित कार्य और सभी सड़क अभियांत्रिकी उपायों की समीक्षा और निगरानी करना
 - (vi) सड़क सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,
 - (vii) दुर्घटना/घातक कमी के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जिले के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना
 - (viii) 4 ई के कार्यक्रम अर्थात् शिक्षा, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल और इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना और उसको सुदृढ़ करना
 - (ix) गति सीमा और यातायात शांत करने वाले उपायों की समीक्षा
 - (x) जिले में अच्छे समरिटानों को प्रेरित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना,
 - (xi) जिले में नगर/शहर और ग्राम पंचायत में यातायात पार्क-सह-प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना
 - (xii) जिले में सड़क सुरक्षा अभियान को प्रोत्साहित करना
 - (xiii) सड़क सरक्षा से संबंधित किसी अन्य मृद्दे पर विचार-विमर्श करना
- 3. समिति कम से कम एक तिमाही में एक बार या अपने निर्णयानसार बारंबारता मिल सकती है।
- 4. इसे माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2017

No. RT-25043/03/2017-RS.—A District Road Safety Committee is hereby constituted in each district of the Country to promote awareness amongst road users under the chairmanship of Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) from the district. If the district has more than one Member of Parliament (M.P.), then the senior most M. P. would be the Chairman of the Committee. The Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha), residing in the district, shall be special invitee. The Committee shall comprise of following members:—

- i. District Collector
- ii. Superintendent of Police
- iii. Chief Executive Officer, Zila Parishad
- iv. Mayor / Chairman of the Municipal Corporation or Development Authority
- v. All Members of Legislative Assembly (MLA) of District
- vi. All Sub Divisional Magistrates of Districts
- vii. 3 Non-Governmental Organization (NGO) as nominated by Chairman
- viii. District Level Officer (DLO) of Stake Holder Departments, Institutions and Automobile Dealers
- ix. Representative of Trade Associations
- x. District Civil Surgeon
- xi. District Education Officer
- xii. Senior most officer of Public Works Department (PWD) in the district
- xiii. Officer in-charge of National Highways Division of PWD for the district
- xiv. Regional Transport Officer (RTO)/Assistant Regional Transport Officer (ARTO) from the Transport Department from district Head Quarter Member Secretary
- 2. The terms of reference of the District Road Safety Committee shall be as under:—
 - (i) Monitoring of road safety activities in the district.
 - (ii) Monitoring of road accidents data
 - (iii) Identification and study of causes of road accidents.
 - (iv) To provide suggestions to the National/State Road Safety Council.
 - (v) Reviewing and monitoring of the work relating to identification and rectification of black spots as per protocol and all road engineering measures
 - (vi) Ensuring implementation of road safety standards,
 - (vii) Create and implement road safety action plan for the district with specific targets for accident/fatality reduction.
 - (viii) To discuss and strengthen the implementation of 4 E's Programme i.e. Education, Enforcement, Emergency care and Engineering.
 - (ix) Review of the speed limits and traffic calming measures.
 - (x) Formulation of strategies to motivate Good Samaritans in the district,
 - (xi) Establishment of traffic park-cum-training centre at town/city and Gram Panchayat in a district.
 - (xii) Promoting road safety campaign in the District.
 - (xiii) To discuss any other issue related to road safety.
- 3. The Committee will meet at least once in a quarter or at such frequency as it may decide.
- 4. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Road Transport, Highways & Shipping.

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.